आदेश पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

रुकमणी देवी पुत्री स्व. दयालाराम उर्फ डालूराम धर्मपत्नी स्व. देवीसिंह वगैरह जाति गुर्जर निवासी वर्तमान वार्ड नम्बर 26, मुकुन्दगढ तहसील व जिला झुंझुनू(राज.)	–बनाम–	श्योपाल सिंह, मोती सिंह पुत्रान महाबक्स सिंह वगैरह जाति राजपूत निवासीगण घोडीवारा खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू(राज.

केस्म मुकदमा –प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा — मु.नं. 47 /2024

8/05/2024

यह प्रार्थना–पत्र वादी कि ओर से जरिये वकील श्री विधाधर सिंह जाखड ने पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम घोडीवारा खुर्द पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 51 खाता संख्या पुराना 44 में खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 1.0600 हैक्टर एवं ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 1.3800 हैक्टर भूमि के गलत रिकॉर्ड के आधार पर प्रश्नगत भूमि को किसी भी रूप में किसी को भी ट्रांसफर नही करे, न ही प्रश्नगत भूमि को किसी भी रूप में वेस्ट व डेमेज करे, आवेदकगण को उनके हक अधिकार की भूमि को शांति से काश्त करने दे, उपयोग उपभोग करने दे, उसमें किसी प्रकार का अवरोध न तो स्वयं पैदा करे न ही अपने आदमियो से करवाये और तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिया जावे कि ग्राम घोडीवारा खुर्द की तन् में स्थित भूमि खसरा नम्बर 104 का राजस्व रिकॉर्ड विधि अनुसार वादनी के नाम दर्ज करे और ग्राम मुकुन्दगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 681 को गलत रिकॉर्ड के आधार पर किसी को भी किसी भी रूप में ट्रांसफर नहीं करे व वेस्ट व डेमेज नही करे और रिकॉर्ड की तादौराने दावा यथास्थिति बनाये रखे और आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं पैदा करे न ही किसी अन्य से करवाये।

आवेदक वकील व प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे विवादित भूमि राजस्व ग्राम घोडीवारा खुर्द पटवार हल्का मुकुन्दगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 51 खाता संख्या पुराना 44 में खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 1.0600 हैक्टर एवं ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 1.3800 हैक्टर के संबंध में रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। उक्त आदेश प्रचलित/कटानी/डबल–डोटेड रास्तों पर प्रभावी नहीं होगा। आवेदक सी.पी.सी. ऑर्डर 39(3) की पालना सुनिश्चित करे। नोटिस/तामील रजिस्ट्रड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 28.06.2024 को पेश हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

28/6/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ़ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा पीठासीन P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा दिनांक 23/8/24 को पेश हो।

Scanned with CamScanner

23/8/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ नवलगढ़ । ... तथा श्रीमान
द्वारा ... र्य स्थगित ... पत्रावली
P.O. ता. अन्य कार्य मे ... हो।
आयन्दा दिनांक ... 25/10/24 [signature]

T.9 Hale
Press
[signature]
प्रेमाकर

25/10/24

आवेदक के वकील उपस्थित है व कथन किया कि वे प्रा० पत्र आगे नही चलाना चाहते है। प्रा० पत्र "Not Press" किया गया।

लिहाजा प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली में दिनांक 28/5/2024 को पारित आदेश तत्काल प्रभाव से वेकेट/अपास्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल हुआ है नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner